भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1266

11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विद्युत वाहन

1266. **श्री दिनेशभाई मकवाणा:**

श्री धर्मबीर सिंह:

श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ई-वाहनों की पहुंच और वहनीयता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ग) उक्त योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सुधार करने में किस प्रकार योगदान मिलेगा;

(घ) क्या ईवी आपूर्ति श्रंखलाओं में स्टार्टअप्स और एमएसएमई को शमिल करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): ई-वाहन पोर्टल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के अनुसार 08/02/2025 तक कुल पंजीकृत ईवी 56.75 लाख है और कुल पंजीकृत वाहन 3,897.71 लाख हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के लिए लक्षित सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करती है। इस योजना में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के बीच रेंज संबंधी चिंता के मुद्दे का समाधान किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम जनता के लिए सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर जोर देती है। यह स्कीम मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों या ई-तिपहिया, ई-ट्रकों और टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित अखिल भारतीय आधार पर अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर लागू है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ.): (घ) के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

*****